

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री विजय कुमार सर्राफ, पे0-मेघराज सर्राफ, ग्राम-मधेपुरा वार्ड नं0-20, थाना+जिला-मधेपुरा के नाम से दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या-09/1981 (मधेपुरा थाना) प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या-1180 धारित है। इनके द्वारा सूचित किया गया है कि ये इन दिनों शारिरिक रूप से काफी अस्वस्थ हो गये हैं, जिस कारण इलाज के लिए बाहर रहना पड़ता है। इस परिस्थिति में बन्दूक नहीं रखना चाहते हैं। इनके द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए धारित शस्त्र को सरकारी मालखाना में जमा करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत श्री विजय कुमार सर्राफ, पे0-मेघराज सर्राफ, ग्राम-मधेपुरा वार्ड नं0-20, थाना+जिला-मधेपुरा को प्रदत्त दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या-09/1981 (मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है तथा उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या-1180 को शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत मधेपुरा थाना के मालखाना में जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं मधेपुरा थाना के द्वारा निर्गत पावना रसीद की एक प्रति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में तुरंत जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह/

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक.....123...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक-...28.../...11.../2016

प्रतिलिपि : श्री विजय कुमार सर्राफ, पे0-मेघराज सर्राफ, ग्राम-मधेपुरा वार्ड नं0-20, थाना+जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा
28/11/16